न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

निगरानी/कोलो/3204/2008/श्रीगंगानगर

1. गुरदयालकौर पत्नि चन्द्रसिंह जाति जटसिख, निबवासी बीझबायला, तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।
2. मुकन्द सिंह पुत्र रतनसिंह जाति जटसिख, निबवासी बीझबायला, तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।
3. तारासिंह पुत्र रतनसिंह जाति जटसिख, निबवासी बीझबायला, तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।

....**प्रार्थीगण**

बनाम

राजस्थान सरकार

....**अप्रार्थी**

एकलपीठ
श्री मूलचन्द मीणा, सदस्य

उपस्थितिः—
श्री विजय सोनी, अभिभाषक प्रार्थीपक्ष
श्री मुकेश दाधीच, उप राजकीय अभिभाषक

दिनांक : 24-8-2011

निर्णय

1. यह निगरानी अंतर्गत धारा 84 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 (जिसे एतद्पश्चात 'अधिनियम' कहा गया है) सपठित धारा 5 राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम विरूद्ध आदेश राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर दिनांक 24.3.08 (अपील सं. 399/07) पेश की गई है।

2. निगरानी प्रार्थनापत्र के तथ्यों का सारांश इस प्रकार है कि विवादित भूमि श्री रावताराम को दिनांक 29.6.62 को आवंटित की गई थी और रावताराम ने उक्त भूमि दिनांक 18.1.1967 को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के माध्यम से प्रार्थीगण को विक्रय कर दी। जिस पर तत्समय से आदिनांक तक प्रार्थीगण का कब्जाकाश्त चला आ रहा है। जिला कलेक्टर श्रीगंगानगर द्वारा राज0 उपनिवेशन अधिनियम 1955 की धारा 13 के अंतर्गत कार्यवाही करते हुये दिनांक 8.1.07 को आदेश पारित कर प्रार्थीगण को बेदखल करने और विवादित भूमि को बहक सरकार लिये जाने का आदेश पारित किया। जिला कलेक्टर गंगानगर के उक्त आदेश दिनांक 8.1.07 के विरूद्ध प्रार्थीगण द्वारा प्रथम अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी श्री गंगानगर के यहां प्रस्तुत की और अपील के साथ स्थगन प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 81 राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत कर अपीलाधीन आदेश के कियान्वयन की रोक का अनुरोध किया। राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर द्वारा प्रार्थीगण की अपील को सुनवाई हेतु स्वीकार तो

कर लिया किंतु स्थगन प्रार्थना पत्र पर कोई आदेश जारी नहीं किया। जिला कलेक्टर के आदेश दिनांक 8.1.07 की पालना में तहसीलदार द्वारा प्रार्थीगण की बेदखली की कार्यवाहीं की जा रही है अतः प्रार्थीगण द्वारा दिनांक 24.3.08 को पुनः राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर के समक्ष एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर स्थगन प्रार्थना पत्र पर आदेश जारी करने का अनुरोध किया। राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर ने प्रार्थीगण के मूल प्रार्थना पत्र दिनांक 24.3.08 को पर ही चार लाईन अंकित कर संक्षिप्त आदेश द्वारा प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर के उक्त आदेश दिनांक 24.3.08 से व्यथित हो कर प्रार्थीगण द्वारा हस्तगत निगरानी प्रार्थनापत्र राजस्व मण्डल न्यायालय में पेश किया गया है।

3. निगरानी प्रार्थनापत्र में प्रार्थीगण का अभिकथन है कि विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी का स्पष्ट (Speaking) आदेश नहीं है, जिसमें कोई कारण वर्णित नहीं किया गया है। निगरानी प्रार्थना पत्र में 2003 आरबीजे पेज 162, 1994 आरबीजे पेज 24 तथा 2007 डीएनजे राज0 (1) पेज 280 के दृष्टांतों का सहारा लेते हुये यह अभिकथन किया कि एक बार यदि अपील को सुनवाई हेतु स्वीकार कर लिया जाता है तो अपीलाधीन आदेश की कियान्विति को रोका जाना न्यायहित में आवश्यक है।

4. उभय पक्ष की बहस सुनी गई और जिला कलेक्टर श्रीगंगानगर के आदेश दिनांक 8.1.07 एंव राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर, द्वारा प्रार्थीगण के मूल प्रार्थना पत्र दिनांक 24.3.08 पर पारित संक्षिप्त आदेश दिनांक 24.3.08 का अवलोकन किया गया। दौराने बहस प्रार्थीगण के विद्वान अभिभाषक श्री विजय सोनी ने निगरानी प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये अपीलाधीन आदेश के कियान्वयन पर रोक लगाने का अनुरोध किया।

5. उपराजकीय अभिभाषक श्री मुकेश दाधीच द्वारा बहस के दौरान अभिकथन किया कि विवादित भूमि का विक्रय राजस्थान उप निवेशन अधिनियम 1955 की धारा 13–ए के अतिलंधन में बिना पूर्व अनुमति किया गया है। अतः अधिग्रहण के आदेश दिनांक 8.1.07 और स्थगन प्रार्थना पत्र को खारिज करने का आदेश दिनांक 24.3.08 उचित एंव विधिअनुकूल है।

6. समस्त तथ्यों पर गौर करने के बाद और उभय पक्ष की बहस पर मनन करने के बाद हमारा मत है कि प्रार्थीगण विवादित आराजी का सदभावी क्रेता एंव काबिज काश्तकार है। विवादित भूमि प्रार्थीगण द्वारा दिनांक 18.1.67 को पंजिकृत विक्रय पत्र से क्रय की थी और जिला कलेक्टर श्रीगंगानगर द्वारा राजस्थान उप निवेशन अधिनियम 1955 की धारा 13–ए (1–ए) के तहत बेदखली की कार्यवाही 2004 में 37 साल बाद प्रारम्भ की गई और दिनांक 8.1.07 को लगभग 40 साल बाद प्रार्थीगण की बेदखली के आदेश जारी किये गये। इस आदेश के विरूद्ध राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर द्वारा प्रार्थीगण की अपील को सुनवाई हेतु स्वीकार किया जा चुका है और दौराने सुनवाई अगर बेदखली के आदेश की कियान्विति नहीं रोकी जाती है तो राजस्व अपील प्राधिकारी के न्यायालय में विचाराधीन अपील स्वतः ही निष्फल हो जायेगी, जो न्यायहित में उचित नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय से यह अपेक्षित था कि वह पुनरीक्षणकर्ता/प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्र को निस्तारित करते समय प्रार्थना पत्र निरस्त करने के कारणों को अभिलिखित करता । सकारण आदेश पारित करने का तात्पर्य यही है कि वह पक्षकार जिसके विरूद्ध आदेश पारित किया गया है वह प्रार्थना पत्र को निरस्त करने के कारण एवं आदेश की औचित्यता से अवगत हो सके जिससे कि प्राकृतिक न्याय के आधारभूत सिद्धान्तों की पालना हो सके । अतः कारण अभिलिखित किये बिना

पुनरीक्षणकर्ता/प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्र खारिज करने में विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने स्पष्टतः तात्विक एवं सारवान् अनियमितता की है । अतः विचाराधीन निगरानी प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

7. परिणामतः यह विचाराधीन निगरानी प्रार्थना पत्र धारा 84 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत स्वीकार किया जाता है और राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर द्वारा पारित संक्षिप्त आदेश दिनांक 24.3.08 को निरस्त किया जाता है तथा जिला कलेक्टर श्रीगंगानगर द्वारा पारित आदेश दिनांक 8.1.07 के क्रियान्वयन को राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर के न्यायालय में विचाराधीन अपील के निर्णय तक स्थगित किया जाता है।

निर्णय खुले न्यायलय में सुनाया गया।

24/8/11

(मूलचन्द मीणा)
सदस्य